

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)  
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण कमांक0-357 / 16  
संस्थापित दिनांक 26 / 07 / 16  
फाईलिंग नम्बर 233504002192016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
 थाना आमला जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :-

लल्लु पिता जौहरी उईके, उम्र 28 वर्ष,  
 जाति कोरकू, व्यवसाय मजदूरी, नि0ग्राम बोड़ना,  
 तह0 आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-19 / 01 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के तहत अभियोग है कि घटना दिनांक 11 / 07 / 2016 को 17.5 बजे या उसके लगभग स्कूल के पास रोड पर ग्राम बोड़ना आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक बकानुमा लोहे की छुरी को अपने आधिपत्य में रखा। जो कि म0प्र0 राज्य की अधिसूचना क्रं0-6312-6552(2) बी (1) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11 / 07 / 16 को जरिए मोबाईल सूचना मिली की ग्राम बोड़ना में स्कूल के पास गांव का लल्लु उईके हाथ में छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा था जिसे हमराह स्टाफ तथा राहगीर पंचान गोकुल यादव, तथा भाला सोनारे के हिकमत अमली से पकड़ा जिसके पास रखी लोहे की छुरी के संबंध में लायसेंस तथा वैधानिक दस्तावेज के बारे में पूछा जिसने नहीं होना बताया जो आरोपी के पास रखी छुरी अवैध रूप से पाये जाने पर तथा आरोपी का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से एक लोहे की बकानुमा छुरी की नाप तौल कर समक्ष गवाहन गोकुल यादव तथा भाला सोनारे मुताबिक जप्ती पत्रक के 16.50 बजे जप्त की गई बाद को समक्ष गवाह के 17.05 बजे गिरफ्तार किया गया। जप्तशुदा छुरी को मौके पर सील बंद किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 5 है लेखबद्ध किया गया। जिसके आधार पर

अपराध क्रमांक 352/16 में 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 11.07.16 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्शनी-1 तैयार किया गया है। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया है। दिनांक 11.07.16 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्शनी-2 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**5- :न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-**

“क्या घटना दिनांक 11/07/2016 को 17.5 बजे या उसके लगभग स्कूल के पास रोड पर ग्राम बोड़ना आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म०प्र० अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक बकानुमा लोहे की छुरी को अपने आधिपत्य में रखा?”

**:- निष्कर्ष एवं उसके आधार :-**  
**विचारणीय प्रश्न क० 1 का निराकरण**

6- अभियोजन साक्षी डी०एस० पठारिया (अ०सा०३) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 11/07/16 को उसे मुखबिर सूचना मिलने पर ग्राम बोड़ना स्कूल के पास पहुँचा था जहाँ उसने देखा कि आरोपी लल्लु हाथ में लोहे की बकानुमा छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। उसने आरोपी से हथियार रखने के लायसेंस के बारे में पूछा तो आरोपी ने कोई लायसेंस नहीं होना बताया। उसने मौके पर साक्षी गोकुल एवं भाला के समक्ष आरोपी से बकानुमा लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 1 तैयार किया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7- आगे इस गवाह ने बताया है कि उसने मौके पर उन्हीं गवाहों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 तैयार किया था जिसके सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौके पर ही साक्षी गोकुल, भाला एवं आरक्षक हाकम के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था जिसमें उसने मन से कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था। आगे इस गवाह ने बताया है कि उसके प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 5 लेख किया था जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने शासन की अधिसूचना प्र०पी० 6 प्रस्तुत की है। उसके द्वारा रवानगी वापसी का सान्हा प्र०पी० 7 एवं प्र०पी० 8 पेश किया जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य को बचावपक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

8- इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर आरोपी लल्लु अकेले मिला था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह साक्षी भाला और गोकुल को साथ में लेकर गया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि उक्त दोनों साक्षी के

अलावा उसने किसी स्वतंत्र साक्षी के घटना स्थल पर कथन नहीं लिए। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने मौके पर अन्य किसी साक्षी के बयान नहीं लिये। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने पूछताछ के दौरान किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा कि आरोपी किसे डरा धमका रहा था। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि यह गवाह घटना स्थल पर जप्ती के साक्षी भाला और गोकुल को स्वयं साथ में लेकर गया और घटना स्थल पर कोई व्यक्ति नहीं था।

9— साथ ही इस गवाह ने घटना स्थल के स्वतंत्र साक्षियों को जप्ती के गवाह नहीं बनाए और ना ही उनके कथन लिए। साथ ही इस गवाह ने अपनी संपूर्ण मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि लोहे का जप्तशुदा छुरी की लंबाई व चौड़ाई क्या थी। क्योंकि समस्त छुरियाँ प्रतिबंधित आकार की नहीं होती हैं। इस प्रकार स्वयं विवेचना अधिकारी के द्वारा अभियुक्त के कब्जे से लोहे के छुरी की जप्ती की गई वह संदेह उत्पन्न करती है।

10— क्योंकि जप्ती के स्वतंत्र साक्षी गोकुल यादव (अ०सा०१), भाला (अ०सा०२) ने सूचक प्रश्न की कंडिका 2 में स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है कि दिनांक 11/07/16 को पुलिस ने ग्राम बोड़ना आरोपी लल्लू के कब्जे से एक लोहे की बकानुमा छुरी जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। उक्त दोनों गवाहों ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह भी व्यक्त किया है कि उन्होंने हस्ताक्षर थाने में किए थे और कोरे कागज पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार जप्ती पत्रक प्र०पी० 1 एवं गिर० पत्रक प्र०पी० 2 के दोनों गवाहों के द्वारा समर्थन न किए जाने से विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद होकर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

11— अभियोजन साक्षी हाकमसिंह (अ०सा०३) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह ए०एस०आई० डी.एस. पठारिया के साथ सूचना पर ग्राम बोड़ना पहुँचे थे जहाँ पर स्कूल के पास एक व्यक्ति लोहे का धारदार छूरानुमा हथियार लेकर लोगों को डरा धमका रहा था जिसे हिकमत अमली लोगों की मदद से उसे घेराबंदी करके पकड़ा और नाम पता पूछने पर उसने उसका नाम लल्लू पिता जौहरी नि० बोड़ना का होना बताया जिसके कब्जे से एक धारदार लोहे का छुरा नुमा हथियार समक्ष गवाहन के विधिवत् ए०एस०आई० द्वारा आरोपी से छुरा रखने का कागजाद पूछने पर कोई कागजाद नहीं होना बताया। आरोपी लल्लू को उसे सामने मौके पर गिरफ्तार किया गया था। आरोपी से जप्ती की गई थी। उक्त साक्ष्य को बचावपक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

12— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि छुरा और छुरी में अंतर समझता है। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि दोनों में अंतर अलग-अलग है। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि छुरा चपटा होता है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि छुरी पैनी और लंबी होती है। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि डी०एस० पठारिया साहब ने सम्पत्ति प्र०पी० 1 में लोहे की छुरी का उल्लेख किया है। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के कब्जे से लोहे की छुरी की जप्ती की गई है यह गवाह स्वयं पुलिस आरक्षक है। यह गवाह अभियुक्त

के कब्जे से छुरा जप्त होना बताता है जबकि विवेचना अधिकारी डी0एस0 पठारिया सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 के अनुसार छुरी जप्त होना बताया गया है, जो कि महत्वपूर्ण विरोधाभास है।

13— उक्त परिस्थिति में यह तथ्य विश्वास किया जाना कि अभियुक्त हाथ में लोहे की बकानुमा छुरी को लेकर लोगों को डरा धमका रहा था और उसके कब्जे से लोहे के एक छुरी की जप्ती की गई। यह तथ्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है।

14— उपर्युक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक बकानुमा लोहे की छुरी को अपने आधिपत्य में रखा। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं0 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

15— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक बकानुमा लोहे की छुरी को अपने आधिपत्य में रखा। इस प्रकार अभियुक्त लल्लू को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

16— प्रकरण में धारा 313 दं0प्र0सं0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किए गए। आरोपी का धारा 428 दं0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

17— प्रकरण में जप्त शुदा एक बकानुमा लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0